कार्यकारी सारांश

1. यह ड्राफ्ट पुर्नवास योजना उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम डेवलपमेन्ट परियोजना के लिए तैयार किया गया है जिसे एशियाई विकास बैंक (ए0डी0बी) के द्वारा परियोजना ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रलेख का उद्देश्य परियोजना क्रियान्वयन और कार्यान्वयन एजेंसियों की समग्र योजना और कार्यान्वयन में मार्गदर्शन करना है विशेष रूप से परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत प्रभावित व्यक्तियों के अस्थायी या स्थायी, भौतिक या आर्थिक विस्थापन की पहचान करना, टालना और कम करना है। ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार क्रिर्यान्वयन एजेंसियों के रूप में i)उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू0पी0सी0एल0) ii)पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पी0टी0सी0यू0एल0) iii)उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के साथ परियोजना के समग्र समन्वय के लिये जिम्मेदार निष्पादन एजेंसी होगी। ए0डी0बी0 की सुरक्षा नीति वक्तव्य (एस0पी0एस0), 2009 के आधार पर परियोजना को अनैच्छिक पुर्नवास (आई0आर0) के प्रभाव के लिये श्रेणी "B" और स्थानीय लोगो (आई0पी0) के प्रभाव को श्रेणी "C" में वर्गीकृत किया गया है। आउटपुट–2 और 3 अनैच्छिक पुर्नवास (आई0आर0) और स्थानीय लोगो (आई0पी0) के प्रभावों को ट्रिगर नहीं करते है। आउटपुट–3 के अन्तर्गत UREDA घटकों से किसी भी (आई0पी0) और (आई0आर0) मुद्दों को ट्रिगर करने की संभावना नहीं है इसलिये पुर्नवास योजना में यू0पी0सी0एल0 और पी0टी0सी0यू0एल0 घटकों को शामिल किया गया है। हालांकि UREDA घटकों के कार्यान्वयन के दौरान कोई भी (आई0पी0) और (आई0आर0) प्रभाव ट्रिगर होता है तो उसका मूल्यांकन किया जायेगा और अद्यतन पुनर्वास योजना का हिस्सा बना रहेगा।
2. यह ड्राफ्ट पुर्नवास योजना परियोजना के आउटपुट–1 को कवर करता है जिसमें (i) ग्रिड सुधार का कार्य कार्यान्वित पी0टी0सी0यू0एल0 द्वारा किया जायेगा (ii) वितरण नेटवर्क में सुधार का कार्य यू0पी0सी0एल0 द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा। ग्रिड सुधार घटकों में विभिन्न उप–घटक शामिल हैं जैसे; नई उपरगामी उच्च विभव पावर लाईनें (132 के0वी0, 220 के0वी0 और 400 के0वी0 लाईन इन–लाईन आउट (LILO)) जो सबस्टेशनों को मौजूदा बिजली लाइनों से जोड़ती हैं। 8 नग नये सबस्टेशनों का निर्माण और मौजूदा बिजली लाईन की दूसरी सर्किट स्ट्रिंग और भूमिगत लाईन इन–लाईन आउट (LILO) केबलिंग। वितरण नेटवर्क सुधार घटकों में विभिन्न उप–घटक शामिल है जैसे नई 33 के0वी0 उपरगामी लाईन (OHL) का भूमिगत केबल में रूपान्तरण, 11 के0वी0 उपरगामी लाईन (OHL) को भूमिगत केबल में परिवर्तित करना, लो–टेंशन लाईन को भूमिगत केबल में परिवर्तित करना, मौजूदा 33/11 के0वी0 सबस्टेशनों (25 नग) की

क्षमता वृद्धि, नए 33/11 के0वी0 सबस्टेशनों (3 नग) का निर्माण, नए 33/11 के0वी0 उपरगामी लाईन का निर्माण और नए 33/11 के0वी0 भूमिगत केबल का निर्माण।?

3. यह ड्राफ्ट पुर्नवास योजना पी0टी0सी0यू0एल और य0पी0सी0एल0 द्वारा उपलब्ध कराए गए सम्भाव्यता–स्तर के तकनीकी विवरण पर आधारित है। परियोजना के क्रियान्वयन से पहले इस ड्राफ्ट पुर्नवास योजना को सबस्टेशनों के अंतिम डिजाइन और विद्युत लाइन के संरेखण/मार्ग;सभी प्रभावित परिवारों के सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के परिणाम तथा नुकसान के अंतिम परिसम्पत्ति सूची के आधार पर अद्यतन किया जायेगा। इसके अलावा इस आर0पी0 को आवश्यकतानुसार अद्यतन किया जाना चाहिये यदि ड्राफ्ट पुर्नवास योजना में शुरू में पहचाने गये सबस्टेशनों के स्थान में कोई परिवर्तन हो या जब कोई नया अनैच्छिक पुर्नवास योजना प्रभाव पहचाना जाये। इस पुर्नवास योजना को अद्यतन करने का कार्य विस्तृत डिज़ाईन सर्वेक्षण के समानांतर किया जायेगा। अंतिम पुर्नवास योजना जिसमें इसके अद्यतन शामिल हैं उसकी समीक्षा ए0डी0बी0 द्वारा की जानी चाहिये और परियोजना कार्यान्वयन या सिविल कार्यों की शुरूआत से पहले प्रभावित व्यक्तियों और अन्य हितधारकों को बताई जानी चाहिये।

4. पावर नेटवर्क को मजबूत करने, आधुनिकीकरण और क्लाईमेट प्रूफिंग के लिये पी0टी0सी0यू0एल द्वारा 8 नग नए सबस्टेशनों का निर्माण किया जायेगा जिनमें से 7 नग सबस्टेशनों के लिए साइटों का निर्धारण अंतिम रूप से कर लिया गया है और शेष 1 नग के लिए निर्धारण अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। 5 नग सबस्टेशन सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर प्रस्तावित है और 2 नग सबस्टेशन निजी स्वामित्व वाली भूमि पर प्रस्तावित हैं। 7 नग सबस्टेशनों के लिए आवश्यक कुल भूमि 10.85 हेक्टेयर है जिसमें से 5.14 हेक्टेयर निजी स्वामित्व वाली और 5.71 हेक्टेयर सरकारी स्वामित्व वाली भूमि है। दो निजी स्वामित्व वाले सबस्टेशनों में से एक नग सबस्टेशन (मैंगलोर) के लिए समझौता वार्ता के जरिये एक भू–स्वामी से प्रत्यक्ष खरीद आधारित के माध्यम से प्राप्त की गयी है। विद्युत लाइनों के संबंध में अनुमान के आधार पर आकलन किया गया है। टावरों की कुल संख्या 216 होने का अनुमान है जिनमें से 213 नग टावर निजी स्वामित्व वाली भूमि पर लगाए जाएंगे जिससे अनुमानित 213 घर/भू–स्वामी प्रभावित होंगे और 3 नग टावर किसी भी घर को प्रभावित किए बिना सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर लगाये जायेंगें। टावर बेस/फुटिंग के लिए आवश्यक कुल क्षेत्र 8.1 हेक्टेयर होने का अनुमान है जो प्रतिबंधित होगा और टावर बेस/फुटिंग के निर्माण के दौरान अतिरिक्त 12.55 हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित होने का अनुमान है। मार्ग का अधिकार (RoW) के तहत प्रभावित कुल क्षेत्रफल 168.87 हेक्टेयर होने का अनुमान है जिसमें से अनुमानित 82.51 हेक्टेयर भूमि फसल भूमि है जो 1309 भू–स्वामी/घरों को प्रभावित करेगी। भूमिगत लाईन–इन लाईन–आउट

(LILO) का निर्माण सार्वजनिक सड़क के किनारे किया जाएगा इसलिये इसमें न तो भूमि का अधिग्रहण होगा और न ही मार्ग का अधिकार (RoW) लगाना शामिल होगा। मूल्यांकन के अनुसार कोई भौतिक विस्थापन अपेक्षित नहीं है। हालाँकि, सटीक संख्याएँ अंतिम डिजाइन के दौरान अपडेट की जाएंगी।

5. वितरण नेटवर्क के अन्तर्गत यू0पी0सी0एल0 द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले सुधार में 3 नग नये 33/11 क0वी0 सबस्टेशनों का निर्माण किया जायेगा जिनके लिए 0.43 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी जो सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर बनायी जायेगी, जिसे यू0पी0सी0एल को हस्तांतरित किया जाएगा। 25 नग 33/11 सबस्टेशनों के आधुनिकीकरण एवं संवर्द्धन के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि निर्माण कार्य मौजूदा सबस्टेशनों के परिसर में ही किया जायेगा। केबल को भूमिगत करने का कार्य देहरादून शहर और इसके उपनगर के अन्तर्गत किया जायेगा जो कि यू0पी0सी0एल0 द्वारा 5 नग विद्युत वितरण खण्ड के माध्यम से संचालित किया जाना है। इन विद्युत वितरण खण्ड के अंतर्गत किये जाने वाली केबलों की कुल अनुमानित लंबाई 321(ckms) है। इन केबलों को भूमिगत करने के लिये सार्वजनिक सड़कों के किनारे खाली जगह का उपयोग किया जाएगा। यह केबल निकटवर्ती भूमि स्वामी और उपयोगकर्ताओं पर कोई मार्ग का अधिकार (RoW) प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। भूमिगत केबल वितरण नेटवर्क 99 नग CSS, 354 नग 11 के0वी0 RMU और 9 नग 33 के0वी0 RMU भी स्थापित करेगा जो जमीन से ऊपर लगाये जायेंगें, इन्हें सार्वजनिक भूमि पर भी रखा जाएगा और अधिकतर उन स्थानों पर रखे जायेंगें जहां पर ट्रांसफार्मर मौजूद हैं। इसीलिये निजी सम्पत्ति या आजीविका पर कोई स्थायी प्रभाव की परिकल्पना नहीं की गई है। हालाँकि निर्माण के दौरान सड़क किनारे विक्रेताओं की आय का अस्थायी नुकसान हो सकता है यदि इसे रोका या कम नहीं किया गया। यू0पी0सी0एल0 द्वारा 28 कि0मी0 की कुल लंबाई वाली 03 नग 11 के0वी0 उपरगामी वितरण लाईनों का निर्माण किया जायेगा जिनके निर्माण के दौरान फसलों/पेड़ों के नुकसान के मामले में मामूली हस्तक्षेप के अलावा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर हितधारकों की एक विस्तृत श्रंखला के साथ परामर्श किया गया है। उच्च विभव विद्युत लाईनों और सबस्टेशन घटकों के लिये 39 स्थानों पर परामर्श किया गया था जिसमें कुल 85 प्रतिभागी शामिल थे। निम्र विभव विद्युत लाईनों के तहत भी 5 स्थानों पर परामर्श किया गया था जहां 7 लोगों से परामर्श किया गया। भूमिगत केबलिंग के लिये 30 वाडों में विभिन्न परामर्श/महत्वपूर्ण सूचक अभिवक्ता साक्षात्कार आयोजित किये गये जिसमें 30 निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित 41 व्यक्ति शामिल थे। य0पी0सी0एल0 परियोजना घटकों के लिये देहरादून में एक औपचारिक बहु हितधारक परामर्श सह कार्यशाला भी आयोजित की गई जिसमें कुल 42 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके

अतिरिक्त महिलाओं के साथ केंद्रित समूह चर्चाएं आयोजित की गयी जिसमें कुल 126 महिलाओं ने भाग लिया। कुल मिलाकर कुल 560 लोगों से परामर्श लिया गया जिनमें से 257 पुरूष और 303 महिलायें हैं। परियोजना कार्यान्वयन के दौरान परामर्श प्रक्रिया जारी रहेगी। पुर्नवास योजना का सारांश स्थानीय लोगों को स्थानीय भाषा (हिन्दी) में उपलब्ध कराया जायेगा। इस ड्राफ्ट पुर्नवास योजना को (ए0डी0बी0), पी0टी0सी0यू0एल और य0पी0सी0एल0 की वेबसाईटों पर प्रकाशित किया जायेगा। इस ड्राफ्ट पुर्नवास योजना को सामाजिक प्रभावों के विस्तृत मूल्यांकन, प्रभावित घरों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के आधारभूत(पूर्व–परियोजना) सर्वेक्षण और प्रभावित व्यक्तियों के साथ सार्थक परामर्श के बाद अंतिम डिजाइन के अनुसार अद्यतन किया जाएगा। अद्यतन पुर्नवास योजना (अंतिम रूप देने से पहले) की समीक्षा ए0डी0बी0 द्वारा की जायेगी और उसके बाद (ए0डी0बी0), पी0टी0सी0यू0एल और य0पी0सी0एल0 की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा। इस पुर्नवास योजना को कार्यान्वयन एजेंसियों और परियोजना स्थलों के कार्यालयों में प्रभावित व्यक्तियों को संक्षेप में और पूर्ण रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

7. इस परियोजना में शामिल प्रभावित व्यक्तियों और श्रमिकों की चिंताओं और शिकायतों को दूर करने के लिए एक 4–स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा। यह मानते हुए कि तीन (3) कार्यान्वयन एजेंसियां अलग–अलग परियोजना उप–घटकों को लागू करेंगी और संभवतः ऐसी शिकायतें प्राप्त होंगी जो प्रकृति और जटिलता में भिन्न हो सकती हैं, परियोजना में प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी में उनके संबंधित घटकों के लिए अलग से GRM स्थापित किया जायेगा। हालाँकि, यह उसी 4– स्तरीय संरचना का पालन करेगा। i)EPC Contractor/डिवीज़न स्तर पर टियर–1 ii)PIU स्तर पर टियर–2 iii)PMU स्तर पर टियर–3 (PISC द्वारा समर्थित); iv)उच्चतम स्तर पर उत्तराखण्ड सरकार के ऊर्जा विभाग (निष्पादन एजेंसी) में टियर–4 ।परियोजना के समग्र परामर्श और प्रकटीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में GRM के बारे में जानकारी परियोजना क्षेत्र के प्रभावित लोगों को सूचित की जायेगी। शिकायतों (बैठकें, परामर्श, संचार, और रिपोर्टिंग/ सूचना प्रसार) को हल करने में शामिल सभी लागत सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वहन की जायेगी। EPC Contractor के प्रदर्शन से सम्बन्धित किसी भी शिकायत का समाधान EPC Contractor द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा, एडीबी के पास अपना जवाबदेही क्रियाविधि भी है जो अंतिम उपाय का एक मंच है जहां एडीबी–वित्तपोषित परियोजनाओं से प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोग अपनी शिकायतें व्यक्त कर सकते हैं। समाधान खोजें; और एडीबी की परिचालन नीतियों और प्रक्रियाओं के कथित उल्लंघन की रिपोर्ट करें। इन शिकायत क्रियाविधि की

मौजूदगी के बावजूद कोई भी प्रभावित वयक्ति भारत में उपलब्ध अदालतों या अन्य न्यायिक या अर्ध–न्यायिक स्थानों तक स्वतंत्र रूप से पहुंच सकता है और उपचार की मांग कर सकता है।

8. यह ड्राफ्ट पुर्नवास योजना ए0डी0बी0 की सुरक्षा निती वक्तव्य (2009) एवं सम्बन्धित प्रमुख राष्ट्रीय नीतियों विशेष रूप से (i) विद्युत अधिनियम 2003 के साथ–साथ भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 10 और 16 एवं (ii) विद्युत मंत्रालय (एम0ओ0पी0) के द्वारा दिशा–निर्देश ट्रांसमिशन लाइनों के लिये मार्ग का अधिकार (RoW) के सम्बन्ध में क्षति के लिये मुआवजे का भुगतान 2015 का पालन करते हुये तैयार की गयी है। प्रभावित पात्र व्यक्ति इसमें शामिल होंगे।

(i) ऐसे व्यक्ति जिनके पास संपूर्ण या आंशिक रूप से गयी हुई भूमि का औपचारिक कानूनी अधिकार हो।
(ii) ऐसे व्यक्ति जिनके कब्जे वाली ऐसी भूमि पूरी तरह या आंशिक रूप से गयी हो, जिनके पास ऐसी भूमि का कोई औपचारिक राष्ट्रीय कानूनों के तहत दावा है और
(iii) जिनकी ऐसी भूमि गयी है जिनके पास न तो औपचारिक कानूनी अधिकार है और न ही पहचान योग्य है।

हकदारीयां पड़ने वाले प्रभावो एवं पुर्नवास योजना हेतु नीति सिद्धान्तों के आधार पर परिभाषित की गयी है। विस्तृत पात्रता (अव्यव/मैट्रीक्स) अध्याय VII में दिया गया है।

9. पात्रता तंत्र को प्रभावों के आधार पर विकसित किया गया है जैसे की टावर के आधार का प्रभाव एवं रास्ते का अधिकार का प्रभाव। टावर के आधार के क्षेत्रफल वाला नुकसान (चारों पांवों के बीच में) प्रभावित होता है। टावर/आधार संरचना के बनाये जाने पर भूमि मूल्य जो कि जिलाधिकारी या अन्य किसी प्रधिकार द्वारा निर्धारित सर्किल दरो, दिशा निर्देशित दरों/स्टाम्प अधिनियम के आधार पर 85 प्रतिशत मुआवजा दिया जायेगा। ट्रांसमिशन लाइन बिछाने और कुछ प्रतिबन्ध लगाने के कारण मार्ग का अधिकार (ROW) कारीडोर की चौड़ाई में भूमि मूल्य में कमी के लिये जिलाधिकारी या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्किल रेट/दिशा–निर्देश/स्टाम्प अधिनियम के आधार दरों पर निधार्रित भूमि मूल्य का 15 प्रतिशत मुआवजा दिया जायेगा। फसलों एवं पेड़ों के नुसारन का मुआवजन सम्बन्धित विभाग द्वारा निधार्रित प्रतिस्थापन मूल्य मुख्यतया राजस्व विभाग, कृषि, वन बागवानी विभाग की सहायता से जैसे कि संरचना बनाने से होने वाला नुकसान हांलांकि किसी भौतिक विस्थापन की संभावना नहीं है फिर भी निर्माण के दौरान संरचना में होने वाले नुकसान का मुआवजा और प्रतिस्थापन मूल्य जो पात्रता मैट्रिक्स में लिया गया है वह दिया जायेगा। कमजोर घरों वाले लोगों के लिये अतिरिक्त सहायता का प्राविधान किया जायेगा जहां कमजोर लोग प्रभावित होंगे उनको जहां इ0पी0सी0 ठेकेदार द्वारा आवश्यक होगा अस्थायी परियोजना क्रियान्यवयन के दौरान अस्थायी रोजगार दिया जायेगा। यू0पी0सी0एल0 घटक के लिये फसलों एवं पेड़ों का अनुमानित नुकसान होना बहुत न्यूनतम एवं सीमित है। ऊपरगामी लाइनों के द्वारा पेड़ों व फसलों पर होने वाले नुकसान का मूल्यांकन सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अस्थायी आय का नुकसान (24 घंटे में पूर्ण कर दिया जाने वाला) प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार किसी भी संरचनाओं का नुकसान का मुआवजा

प्रस्थिापन मूल्य के आधार पर किया जायेगा। किसी अप्रत्याशित भविष्य में होने वाले नुकसान के मुआवजे का आंकलन पुर्नवास योजना में निर्धारित नीति सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।

10. सांकेतिक बजट रू 22,11,83,455 (221.18 मिलीयन USD 2.67 के बराबर) इस परियोजना के क्रियान्यवन के लिये पुर्नवास हेतु लिया गया है। यह पा0ट्रा0का0लि0 एवं उ0पा0का0लि0 के लिये अनुमानित लागत का लगभग 20 प्रतिशत अप्रत्याशित प्रभावों से सम्बन्धित किसी भी लागत के लिये शामिल किया गया है। बजट को दो भागों में बांटा गया है (A) बजट 14.40 मिलीयन उ0पा0का0लि0 घटक हेतु (B) बजट 206.78 मिलीयन पा0ट्रा0का0लि0 घटक हेतु, पिटकुल एवं उ0पा0का0लि0 इस बजट के प्रावधान को निधि का हिस्सा सुनिश्चित करेंगें। यह लागत सांकेतिक है एवं अंतिम डिजाइन के दौरान अद्यतन होगा एवं पुर्नवास योजना के अनुसार अद्यतन होगा।

11. किसी भी स्थायी प्रभाव के लिए मुआवजा, जैसे निजी उपसंस्थान की भूमि का मुआवजा, टावर के आधार(85 प्रतिशत जमीनी मूल्य MOP दिशा–निर्देशों के अनुसार) का मुआवजा निर्माण शुरू करने से पूर्व देना होगा। मार्ग का अधिकार (ROW), पेड़ एवं फसलों आदि का मुआवजा मूल्यांकन/निर्माण के 3 माह के अन्दर देना होगा उच्च विभव की विद्युत लाइनों एवं 33/11 किलो वोल्ट की वितरण लाइनों के मुआवजा हेतु चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जा सकता है। पि0ट0कु0ल एवं उ0पा0का0लि0 को यह सुनिश्चित करना होगा कि मुआवजे का भुगतान लाईन के निर्माण के दौरान निर्माण से 3 महीनों के भीतर एक साथ ही किया जा रहा है। जो हिस्सा निर्माण के लिए तैयार है।

12. ऊर्जा विभाग, उत्तराखंड सरकार इस परियोजना की कार्यान्वयन संस्था है और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पी0टी0सी0यू0एल) और उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (य0पी0सी0एल0) अपने संबंधित घटकों के लिए कार्यान्वयन संस्था होंगी। इस परियोजना के निष्पादन संस्था के स्तर पर एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पी0एम0यू0) स्थापित की जाएगी। इस परियोजना के समग्र समन्वय और कार्यान्वयन हेतु विभिन्न सलाहकार जैसे सामाजिक सुरक्षा उपायों हेतु एक वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (SSO) होंगे। पी0टी0सी0य0एल और यू0पी0सी0एल की अपनी–अपनी परियोजना कार्यान्वयन एवं सुरक्षा उपाय की इकाईयां (पी0आई0यू) होंगी सम्बन्धित (पी0आई0यू) की प्रारंभिक जिम्मेदारी तैयारी और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पुर्नवास योजना की होगी। पि0ट0कु0ल एवं उ0पा0का0लि0 सामाजिक सुरक्षा गतिविधियों हेतु एक विशेषज्ञ को नामित करेंगें। सम्बन्धित पि0ट0कु0ल एवं उ0पा0का0लि0 की (पी0आई0यू) का सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण सलाहकार (पी0आइ0एस0सी) सहयोग करेंगी। जो कि एक सलाहकार फर्म होगी जिसमें सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञ टीम में होंगें।
13. निगरानी यू0पी0सी0एल एवं और पि0ट0कु0ल की पी0एम0यू0 द्वारा सम्बन्धित (पी0आई0यू) की इनपुट के द्वारा जिम्मेदारी होगी। पुर्नस्थापना योजना हेतु आंतरिक निगरानी दो स्तरों पर होगी (i) संबंधित पी0आई0यू0 (यू0पी0सी0एल0 और पी0टी0सी0यू0एल0) द्वारा, और (ii) पी0एम0यू0/पी0आई0एस0सी0 स्तर पर इसके अतिरिक्त यदि कार्यान्वयन अवधि के दौरान एक बाह्य आवश्यकता पड़ने पर वार्षिक रूप

से एक स्वतंत्र सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञ द्वारा निगरानी की जाएगी। यू0पी0सी0एल0 और पी0टी0सी0यू0एल0 अर्द्धवार्षिक आंतरिक निगरानी आख्या पी0आई0यू एवं पी0एम0यू0 के माध्यम से ए0डी0बी को प्रस्तुत की जायेगी। अनुमोदित अर्द्धवार्षिक आख्या ए0डी0बी0, यू0पी0सी0एल0 और पी0टी0सी0यू0एल0 की वेबसाइट पर डाली जायेगी।

यह भी सूचित करना है कि उक्त अभिलेख (Document) आर0पी0 (रिसेटलमेंट प्लान) का सारांश है। अधिक जानकारी के लिये आर0पी0 (रिसेटलमेंट प्लान) का पूर्ण अभिलेख उपाकालि की वेबसाइट पर उपलब्ध है।